भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय : सहकारिता के स्वर्णिम भविष्य की नींव

डॉ. उमाकांत दाश

2025 के बजट सत्र की प्रमुख उपलब्धियों में से एक 'त्रिभुवन' सहकारी विश्वविद्यालय (टीएसयू) विधेयक, 2025 की प्रस्तुति और उसका अधिनियमित किया जाना रहा। यह विश्वविद्यालय देश में सहकारी आंदोलन को मज़बूत करने के लिए तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समर्पित होगा और संस्थानों के एक नेटवर्क के माध्यम से वैश्विक उत्कृष्टता प्राप्त करेगा।

20 के बजट सत्र की प्रमुख उपलब्धियों में से एक 'त्रिभुवन' सहकारी विश्वविद्यालय (टीएसयू) विधेयक, 2025 की प्रस्तुति और उसका अधिनियमित किया जाना रहा। यह विधेयक लोकसभा में गत 26 मार्च को और राज्यसभा में 01 अप्रैल को पारित हुआ। 03 अप्रैल, 2025 को राजपत्र अधिसूचना जारी गई, जिसके माध्यम से ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद (IRMA) को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया। यह विश्वविद्यालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु समर्पित होगा और संस्थानों के एक नेटवर्क के माध्यम से वैश्विक उत्कृष्टता प्राप्त करेगा।

क्या हैं सहकारी समितियां?

संगठन के रूप में सहकारी समितियां लाभ के उद्देश्य से संचालित कंपनियों से अलग होती हैं। ये दोहरे उद्देश्यों वाली संकर (हाइब्रिड) संस्थाएं होती होती है जो व्यवसाय के साथ-साथ सामाजिक कल्याण के लिए सेवाएं भी प्रदान करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के अनुसार, एक सहकारी समिति *"व्यक्तियों का एक स्वायत्त संगठन है जो अपनी साझी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को एक साथ स्वामित्व वाली और लोकतांत्रिक रूप से संचालित संस्था के माध्यम से पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं।"*

सहकारी समितियों के उद्देश्यों को वाक्यांश "वैल्यू फॉर मनी, एंड वैल्यू फॉर मेनी" में समाहित किया जा सकता है, जो अमूल, भारत के लोकप्रिय दुग्ध ब्रांड और विश्व की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्था, का मार्गदर्शक सिद्धांत भी है। 'वैल्यू फॉर मनी' का अर्थ है कि अमूल उपभोक्ताओं को उनके खर्च के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रदान करता है। 'वैल्यू फॉर मेनी' का अर्थ है कि अमूल यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई गई राशि का 85% हिस्सा प्रतिदिन सुबह और शाम अपने-अपने गाँव की दुग्ध सहकारी समितियों में 36 लाख से अधिक दुग्ध आपूर्तिकर्ता किसानों को जाता है। यह दर्शाता है कि सहकारी समितियां किस प्रकार आर्थिक साधनों के माध्यम से सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

सहकारी समितियां सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से संचालित होती हैं, जो व्यक्तियों को व्यावसायिक संस्थाओं के रूप में संगठित करती हैं। यह एकल किसानों की असुरक्षा को कम करती है और समुदायों में लचीलापन उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए, एक छोटा या सीमांत किसान अकेले, उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट्स नहीं खरीद सकता, पूंजी के लिए साहूकारों पर निर्भर हो सकता है, या अपने उत्पादों के लिए उचित मूल्य नहीं प्राप्त कर पाता और मजबूरी में नुकसान में बिक्री कर देता है। लेकिन जब छोटे और सीमांत किसान मिलकर एक *'सहकारी समिति'* बनाते हैं, तो *'सामूहिकता'* के कारण उनकी *'सौदेबाज़ी की शक्ति'* बढ़ती है, जोखिम कम होता है और बेहतर तकनीक और बाज़ार तक उनकी पहुँच सुलभ होती है।

'सामूहिकता' न केवल *'एकता में शक्ति'* को दर्शाती है, बल्कि समानता और समावेशन को भी बढ़ावा देती है। सहकारी समितियां सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाती हैं क्योंकि वे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं का समाधान *मान्यता* (सभी जातियों और समुदायों के लोगों को बिना पक्षपात के सदस्य के रूप में शामिल करना), *प्रतिनिधित्व* (सभी सदस्यों को समान मतदान अधिकार देना) और *पुनर्वितरण* (सभी सदस्यों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करना) के जरिए करती हैं। संक्षेप में, सहकारी समितियां समुदाय आधारित होती हैं, समतामूलक धन वितरण को प्राथमिकता देती हैं और लोकतांत्रिक निर्णय प्रणाली से संचालित होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सहकारी समितियों को स्वतंत्रता, गरिमा, आर्थिक सुरक्षा और समान अवसर का प्रतीक माना है। सहकारी समितियां न्यायसंगत समाज और टिकाऊ समाधान लाने में सहायक होती हैं।

लेखक ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (IRMA), आणंद में निदेशक हैं।

सहकारी क्षेत्र के लिए विश्वविद्यालय की आवश्यकता क्यों?

भारत में सहकारी क्षेत्र को समर्पित एक पूर्ण विश्वविद्यालय की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। स्वतंत्रता से पहले ही भारत में विभिन्न अनौपचारिक रूपों में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हो चुका था। ब्रिटिश भारत में समय-समय पर कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में क्रेडिट और नॉन-क्रेडिट सहकारी समितियों को संस्थागत और क्रियाशील बनाने के लिए केंद्र और प्रांतीय सरकारों द्वारा कई अधिनियम लाए गए। स्वतंत्रता के बाद, सहकारी समितियों को आर्थिक और राजनीतिक विकास का प्रमुख साधन माना गया, जिसकी शुरुआत पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) से हुई, जिसमें सहकारी समितियों को सामुदायिक विकास के सभी पहलुओं के लिए उपयुक्त संगठनात्मक रूप में मान्यता दी गई थी। इसके बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में भी इस पर बल दिया गया और यह कल्पना की गई कि हर गाँव का प्रत्येक परिवार कम से कम एक सहकारी समिति का सदस्य होगा।

आगामी दशकों में कई समितियां गठित की गईं, कानून बनाए गए, नीतियां बनाई गईं और संस्थाएं स्थापित की गईं ताकि सहकारी समितियों की पारिस्थितिकी को समर्थन दिया जा सके। वर्तमान में भारत में 8.5 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं और लगभग 30 करोड़ सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं: क्रेडिट और बैंकिंग, डेयरी, आवास, उर्वरक, चीनी, विपणन, उपभोक्ता वस्तुएं, हथकरघा, हस्तशिल्प, मत्स्य पालन, महिला कल्याण आदि। वैश्विक औसत 12% की तुलना में, भारत की 20% से अधिक जनसंख्या सहकारी आंदोलन का हिस्सा है। सहकारी समितियों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 2023 में 'एम्प्लॉयमेंट न्यूज़' को दिए एक साक्षात्कार में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया था कि *सहकारी समितियां चीनी उत्पादन का लगभग एक तिहाई, उर्वरक उत्पादन का एक चौथाई, कृषि ऋण, धान खरीद और मत्स्य उत्पादन का पांचवां हिस्सा और दुग्ध उत्पादन का दसवां हिस्सा प्रदान करती हैं।*

नवंबर 2024 की *'कोऑपरेटिव्स इन इंडिया: 2030 तक अवसर'* पर आधारित रिपोर्ट में प्राइमस पार्टनर्स ने अनुमान लगाया है कि सहकारी क्षेत्र भारत में 2030 तक 11 करोड़ नौकरियां सृजित कर सकता है। सहकारी क्षेत्र की व्यापकता और गहराई तथा भविष्य की आवश्यकताओं की तुलना में, देश में शिक्षा और प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना काफी हद तक अपर्याप्त है। इस दिशा में एक प्रमुख संस्थान है ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद (IRMA), जिसकी स्थापना 1979 में भारत में 'श्वेतक्रांति' के जनक डॉ. वर्गीज़ कुरियन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पेशेवर ग्रामीण प्रबंधकों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। पिछले 45 वर्षों में, इस संस्थान ने ग्रामीण संगठनों को पेशेवर स्वरूप प्रदान किया है और सहकारी क्षेत्र के लिए नेतृत्व विकसित किया है।

हालांकि, हमारे देश के लिए एक ग्रामीण प्रबंधन संस्थान पर्याप्त नहीं है। *त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी* की स्थापना इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई है। जैसा कि अधिनियम में उल्लेख है, यह विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्रों के लिए विभिन्न श्रेणियों की नौकरियों (प्रबंधकीय, पर्यवेक्षणीय, प्रशासनिक, तकनीकी, परिचालन आदि) हेतु पेशेवर रूप से योग्य मानव संसाधन की स्थिर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है; यह सहकारी क्षेत्र के कर्मचारियों और बोर्ड सदस्यों की क्षमता निर्माण की लंबे समय से लंबित समस्या को भी केंद्रित तरीके से हल कर सकता है। शिक्षा और प्रशिक्षण के अतिरिक्त, यह विश्वविद्यालय कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अनुसंधान भी कर सकता है, जैसे: "कुछ सहकारी समितियां क्यों सफल होती हैं, जबकि अन्य असफल?", "सहकारी समितियों और कॉर्पोरेट संगठनों के बीच समान अवसर कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है?", "विभिन्न क्षेत्रों या भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों की सहकारी समितियों के लिए परस्पर सीखने के अवसर क्या हैं?" आदि।

सहकारी समितियों पर ज़ोर

वर्तमान सरकार ने अपनी पिछली अवधि में जुलाई, 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर सहकारी समितियों के महत्व को मान्यता दी थी। मंत्रालय की स्थापना के बाद से सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का निर्माण। केवल चार वर्षों से भी कम समय में देशभर में सहकारी समितियों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है। जम्मू-कश्मीर में सहकारी समितियों की संख्या 4111 से बढ़कर 10317 हो गई, जो 150% की वृद्धि है। इसी प्रकार, लद्दाख, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और असम जैसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह वृद्धि राष्ट्रीय औसत से दोगुनी रही है। वर्तमान में सहकारी समितियों का सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र (27%) में है, उसके बाद गुजरात (10%) है। क्षेत्रों के अनुसार, सबसे अधिक हिस्सा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटीज़ (23%) का है, उसके बाद डेयरी (18%) और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (12%) का।

सहकारिता मंत्रालय सहकारी संघवाद की भावना को बनाए रखता है। एक राष्ट्रीय सहकारी नीति अंतिम रूप में है, जिसका मसौदा 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति द्वारा कई बैठकों और कार्यशालाओं के बाद तैयार किया गया है। *'पैक्स'* को पुनर्जीवित करने के लिए हाल ही में 25 आर्थिक गतिविधियों के साथ इसे जोड़ा गया है। अब *'पैक्स'* एक कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 300 से अधिक सरकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। *'पैक्स'* का बड़े पैमाने पर कंप्यूटरीकरण किया गया है और दो-तिहाई *'पैक्स'* की सेवाएं वर्तमान में ऑनलाइन हैं। सरकार ने सहकारी समितियों पर लगने वाला कर 12% से घटाकर 7% कर दिया है। मंत्रालय की स्थापना के बाद से सहकारी क्षेत्र को मज़बूत करने हेतु 60 से अधिक पहलें की गई हैं, जिससे संभावित रोज़गार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। टैक्सी, बीमा और अन्य क्षेत्रों में भी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना है। रणनीति यह है कि अगले पाँच वर्षों में *'पैक्स'* को मत्स्य पालन या डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से, देश के सभी गांवों में शामिल किया जा सके।

टीएसयू का एजेंडा

टीएसयू विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने वाले पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, *"सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जो देश के हर परिवार को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। हर गाँव में कोई न कोई इकाई होती है जो कृषि विकास, ग्रामीण विकास और स्वरोज़गार में सहकारिता के माध्यम से लगी होती है और देश के विकास में योगदान देती है।"* उन्होंने यह रेखांकित किया कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भारत अब अपना पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है। उन्होंने इस पहल को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, स्वरोज़गार और लघु उद्यमों को बढ़ावा देने, सामाजिक समावेशन को सुदृढ़ करने और नवाचार एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जिससे आधुनिक शिक्षा से सुसज्जित सहकारी नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार होगी। मंत्री ने घोषणा की कि विश्वविद्यालय का नाम 'त्रिभुवन' सहकारी यूनिवर्सिटी होगा, जो भारत के सहकारी आंदोलन के अग्रदूत श्री त्रिभुवनदास पटेल के नाम पर होगा, जिन्होंने भारत के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल के मार्गदर्शन में 'सहकारिता' की नींव रखी। उन्होंने अमूल की सफलता का उदाहरण दिया, जिसे 1946 में श्री त्रिभुवनदास पटेल ने 250 लीटर दूध से शुरू किया था और जो आज 90,000 करोड़ के वार्षिक कारोबार वाला भारत का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड बन चुका है (2024-25 में)।

श्री अमित शाह ने यह भी रेखांकित किया कि सहकारिता की संस्थागत अवधारणा को *'उद्यमशीलता'* की भावना के साथ जोड़कर *'स्वरोज़गार'* सृजित किया जा सकता है। सामूहिक प्रयासों से रोज़गार के तीन महत्वपूर्ण लाभ हैं –

- यह असंगठित और अल्प वेतन वाले कार्यों के विपरीत गरिमा और सामाजिक सुरक्षा देता है।
- यह 'मैं' के बजाय 'हम' की भावना विकसित करता है, जिससे सामाजिक विभाजनों से ऊपर उठकर एकता और सामूहिक उद्देश्य की भावना पैदा होती है।
- देश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सहकारिता के माध्यम से विकास का अर्थ है समग्र जन-कल्याण, जिससे कुछ अरबपतियों का नहीं, बल्कि एक अरब नागरिकों का सशक्तीकरण होता है।

सहकारी क्षेत्र की संभावनाओं को साकार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय की आवश्यकता थी जो प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध करा सके। इस आवश्यकता को स्वीकार करते हुए श्री अमित शाह ने कहा, *"देशभर में हज़ारों सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन इनमें पाठ्यक्रम में कोई समानता नहीं है।"*

'त्रिभुवन' सहकारी यूनिवर्सिटी एक शीर्ष संस्था के रूप में इन प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों को एकीकृत, मानकीकृत और व्यापक रूप से प्रसारित करेगा। यह विश्वविद्यालय सहकारिता शिक्षा को अधिक संगठित, पारदर्शी और समन्वित बनाने का कार्य करेगा।

यह विश्वविद्यालय डिग्री, डिप्लोमा और पीएचडी पाठ्यक्रम प्रदान करेगा, जिसमें 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए कक्षाओं के साथ-साथ ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से भी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे दूरदराज़ के क्षेत्रों के लोग भी रोज़गार के अवसरों से जुड़ सकेंगे। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप बहु-विषयक पाठ्यक्रम शुरू करेगा, जिससे छात्र अपनी सुविधा अनुसार पाठ्यक्रम में प्रवेश और निकास कर सकेंगे। साथ ही, यह पहले से कार्यरत कर्मचारियों के लिए संक्षिप्त अवधि के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी चलाएगा, जिससे वे अपने कौशल को उन्नत कर सकें और घरेलू एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखला में योगदान दे सकें।

यह विश्वविद्यालय एक 'थिंक टैंक' के रूप में सहकारी शासन, तकनीकी एकीकरण, वित्तीय स्थिरता और समुदाय आधारित व्यावसायिक मॉडलों पर गहन शोध करेगा, जिससे सरकारों और सहकारी संस्थाओं/संघों को नीति सुझाव दिए जा सकें। एक हब एंड स्पोक मॉडल के तहत, यह विश्वविद्यालय देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्र-विशिष्ट स्कूल स्थापित करेगा जो स्थानीय आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे। इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष लगभग आठ लाख प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देना है, जिससे सहकारी आंदोलन में नई प्रतिभाओं का समावेश हो सके।

इस प्रकार, संरचित अकादमिक कार्यक्रमों, अनुसंधान को प्रोत्साहन, और प्रशिक्षित कार्यबल के निर्माण के माध्यम से यह विश्वविद्यालय सहकारी संस्थाओं को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और पेशेवर रूप से प्रबंधित उद्यमों में परिवर्तित करेगा।

समग्र रूप से देखा जाए तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना नई पीढ़ी की सहकारी संस्कृति को विकसित करने में सहायक होगी, जिससे सहकारी अध्ययन आधुनिक उद्योग की मांगों को पूरा कर सकेंगे। यह भारत के सहकारी आंदोलन को सशक्त करेगा और भारत को वैश्विक स्तर पर सहकारी शिक्षा, शासन और नवाचार का अग्रणी देश बनाने में सहायक सिद्ध होगा। जैसे-जैसे सहकारी संस्थाएं आर्थिक विकास की प्रमुख कड़ी बनेंगी, यह विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर और टिकाऊ सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक आधार प्रदान करेगा और सहकारी उत्कृष्टता के एक नए युग की नींव रखेगा, जो करोड़ों लोगों को सशक्त बनाएगा।

निष्कर्षतः वर्तमान सरकार ने *'त्रिभुवन' सहकारी यूनिवर्सिटी* की परिकल्पना एक अद्वितीय संस्थान के रूप में की है, जो देश को *'सहकार से समृद्धि'* के मार्ग पर विकसित अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर करेगा। ऐसा विकास न केवल अधिक समावेशी और न्यायसंगत होगा बल्कि पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशील होगा। इसी सकारात्मक सोच के साथ हम *'त्रिभुवन' सहकारी यूनिवर्सिटी* की स्थापना का स्वागत करते हैं और सहकारिता एवं जन-कल्याण के लिए भारत और विश्व में मिलकर काम करने की आशा रखते हैं। ❑